ISSN 0973-3914

रिसर्च जरनल ऑफ सोशल एण्ड लाइफ साइन्सेस

Peer- Reviewed Research Journal

UGC Journal No. (Old) 40942
Impact Factor 5.125 (IIFS)
Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory © ProQuest, U.S.A. Title Id: 715205

Centre for Research Studies
REWA (M.P.)

2022

www.researchjournal.in

अंक 37 हिन्दी संस्करण वर्ष - 19 जुलाई-दिसम्बर 2022

आई. एस. एस. एन. 0973-3914

रिसर्च जरनल ऑफ सोशल एण्ड लाइफ साइन्सेस

Peer-Reviewed Research Journal
UGC Journal No. (Old) 40942
Impact Factor 5.125 (IIFS)
Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, ProQuest U.S.A. Title Id : 715205

अंक-37 हिन्दी संस्करण वर्ष-19 जुलाई - दिसम्बर 2022

डॉ. अखिलेश शुक्ल
ऑनरेरी सम्पादक
प्राध्यापक, समाजशास्त्र एवं समाजकार्य विभाग
उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, नैक 'ए' ग्रेड
शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)
प्रतिष्ठित भारतेन्दु हरिश्चन्द्र एवार्ड तथा पं. गोविन्द वल्लभ पंत एवार्ड से सम्मानित
akhileshtrscollege@gmail.com

डॉ. संध्या शुक्ल
प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, राजनीति विज्ञान विभाग
उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, नैक 'ए' ग्रेड
शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)
drsandhyatrs@gmail.com

डॉ. गायत्री शुक्ल
अतिरिक्त निदेशक, सेन्टर फॉर रिसर्च स्टडीज, रीवा
shuklagayatri@gmail.com

डॉ. आर. एन. शर्मा
सेवानिवृत्त आचार्य, उच्च शिक्षा, रीवा
rnsharmanehru@gmail.com

सेन्टर फॉर रिसर्च स्टडीज, रीवा
की मुख्य शोध पत्रिका
म.प्र. सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1973 के अंतर्गत पंजीकृत
पंजीयन क्रमांक 1802, सन् 1997

विषय विशेषज्ञ/परामर्श मण्डल

1. डॉ. अरविंद जोशी, सेवानिवृत आचार्य, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी
arvindvns@outlook.com
2. डॉ. रामशंकर, कुलपति, पं. शम्भूनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय, शहडोल
rs_dubey@yahoo.com
3. डॉ. डी. एस. राजपूत, आचार्य, डॉक्टर हरीसिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर
drdiwakarrajeut@rediffmail.com
4. डॉ. बी. के. सिंह, आचार्य, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी
imdrbrajesh.kv@gmail.com
5. डॉ. अंजली श्रीवास्तव, सेवानिवृत आचार्य, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा
anjali_apsu@rediffmail.com
6. डॉ. बी. पी. बडोला, सेवानिवृत्त आचार्य, कांगड़ा हिमाचंल प्रदेश
bpbadola@gmail.com
7. डॉ. आभा सक्सेना, सह प्राध्यापक, अग्रसेन कन्या स्वशासी महाविद्यालय वाराणसी
drabhasaxena7@gmail.com
8. डॉ. प्रज्ञा मिश्रा, आचार्य, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट
pragyamishramgcgv@gmail.com
9. डॉ. आशीष सक्सेना, आचार्य, इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद उत्तर प्रदेश।
ashish.ju@gmail.com
10. डॉ. ज्योति उपाध्याय, आचार्य, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन मध्य प्रदेश
drjyotiupadhyay11@gmail.com
11. डॉ. प्रमिला पुनिया, सह प्राध्यापक, इतिहास, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर राजस्थान
pramilapoonia@rediffmail.com
12. डॉ. मृदुल जोशी, आचार्य, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार
dr_mriduljoshi@yahoo.com
13. डॉ. शैलजा दुबे, प्राध्यापक, शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय भोपाल
shailjadubey70@yahho.in
14. डॉ. प्रमिला श्रीवास्तव, आचार्य, शासकीय कला महाविद्यालय कोटा राजस्थान
dr21pramila@gmail.com
15. डॉ. जयशंकर शाही, आचार्य, अलवर राजस्थान
jayshankarshahi@gmail.com
16. डॉ.एन. पी. त्रिपाठी , सेवानिवृत्त आचार्य, रीवा मध्य प्रदेश
17. डॉ. राजेश भट्ट, एच. एन. बी. केंद्रीय विश्वविद्यालय, श्रीनगर गढ़वाल, उत्तराखंड
rajeshbhatt11@gmail.com

Guide Lines

- **General:** English and Hindi Editions of Research Journal are published separately. Hence Research Papers can be sent in Hindi or English.
- **Manuscript of research paper:** It must be original and typed in double space on the one side of paper (A-4) and have a sufficient margin. Script should be checked before submission as there is no provision of sending proof. It must include Abstract,Keywords, Introduction, Methods, Analysis, Results and References. Hindi manuscripts must be in Devlys 010 or Kruti Dev 010 font, font size 14 and in double spacing. All the manuscripts should be in two copies and in Email also. Manuscripts should be in Microsoft word program. Authors are solely responsible for the factual accuracy of their contribution.
- **References :** References must be listed cited inside the paper and alphabetically in the order- Surname, Name, Year in bracket, Title, Name of book, Publisher, Place and Page number in the end of research paper as under- Shukla Akhilesh (2018) Criminology, Gayatri Publications, Rewa : Page 12.
- **Review System:** Every research paper will be reviewed by two members of peer review committee. The criteria used for acceptance of research papers are contemporary relevance, contribution to knowledge, clear and logical analysis, fairly good English or Hindi and sound methodology of research papers. The Editor reserves the right to reject any manuscript as unsuitable in topic, style or form without requesting external review.

लेखकों से निवेदन-

- रिसर्च जरनल ऑफ सोशल एण्ड लाइफ साइंसेज (ISSN-0973-3914) सेन्टर फॉर रिसर्च स्टडीज की मुख्य शोध पत्रिका है, जो मानव संसाधन मंत्रालय तथा पंजीयक समाचार पत्र एवं पत्रिका, भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा पंजीकृत हैं।
- शोध पत्रिका उलरिच इन्टरनेशनल पीरियाडिकल्स डाइरेक्ट्री प्रोक्वेस्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका से इंडेक्स्ड और लिस्टेड हैं।
- शोध पत्रिका का अंग्रेजी एवं हिन्दी संस्करण अलग-अलग प्रकाशित होता है।
- रिसर्च जरनल ऑफ सोशल एण्ड लाइफ साइंसेस का प्रकाशन प्रतिवर्ष जून एवं दिसंबर में किया जाता है।
- रिसर्च जरनल ऑफ सोशल एण्ड लाइफ साइंसेस को इम्पैक्ट फैक्टर एवं आई.एस.एस.एन प्राप्त हैं। शोध पत्रिका Peer-Reviewed हैं।
- शोध पत्रिका के नवीनतम अंक में प्रकाशित शोध पत्रों को हमारी वेबसाइट www.researchjournal.in (Current Issue) में देखा जा सकता है तथा डाउनलोड किया जा सकता है।
- शोध पत्रिका का प्रिंट एडीशन सदस्यों को अलग से डाक द्वारा भेजा जाता है।
- शोध पत्र में शीर्षक, नाम, पद, पदस्थापना का विवरण, पत्र व्यवहार का पता तथा दूरभाष क्रमांक,
- मोबाइल नं., ई-मेल एड्रेस अवश्य दिया जाये।
- शोध पत्र के प्रारम्भ में कम से कम 50-100 शब्दों का सारांश दिया जाये।
- मुख्य शब्द सारांश के नीचे टाइप कराया जाये।

- शोध पत्र में शोध पद्धति तथा शोध में प्राप्त तथ्यों का विश्लेषण किया जाना चाहिए।
- शोध पत्र में निष्कर्ष और अंत में संदर्भ ग्रंथ सूची दी जाये। संदर्भ ग्रंथों का विवरण पूरा दिया जाये। लेखक का नाम, वर्ष, पुस्तक का नाम, प्रकाशक का विवरण, प्रकाशक का स्थान और पृष्ठ संख्या आदि का विवरण दिया जाना चाहिए।
- शोध पत्र माईक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल में टाइप किया हुआ होना चाहिए। (नोट- पेज मेकर की फाइल, पी.डी.एफ. फाइल, स्कैन मैटर आदि में कदापि शोध पत्र न भेजें) शोध पत्र हिन्दी लिपि में कृतिदेव या देवलिस फांट 010(फॉन्ट साइज 14, स्पेस डबल, मार्जिन ए-4 साईज के कागज में चारो तरफ 1 इंच) में भेजा जाना चाहिए।
- शोध पत्र के साथ यह घोषणा अवश्य संलग्न करें कि शोध पत्र मौलिक है तथा इसे कहीं अन्यत्र प्रकाशनार्थ प्रेषित नहीं किया गया है।

सर्वप्रथम शोध पत्र ई-मेल द्वारा भेजें-

researchjournal97@gmail.com,
researchjournal.journal@gmail.com

शोध पत्र की स्वीकृति की सूचना सम्पादकीय कार्यालय द्वारा लेखक को ई-मेल एवं दूरभाष द्वारा प्रदान की जाती है।

© सेन्टर फॉर रिसर्च स्टडीज

एक अंक रुपये 500.00

-सदस्यता शुल्क -		
अवधि	व्यक्तिगत सदस्यता	संस्थागत सदस्यता
वर्ष एक	2000-00	2500-00
वर्ष दो	2500-00	4000-00

सदस्यता शुल्क की राशि गायत्री पब्लिकेशन्स के स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, ब्रांच-रीवा सिटी (आईएफएस कोड 0004667 MICR Code 486002003) के खाता क्रमांक 30016445112 में जमा की जाय।

प्रकाशक: गायत्री पब्लिकेशन्स
रीवा- 486001 (म.प्र.)

मुद्रक: ग्लोरी ऑफसेट
नागपुर

संपादकीय कार्यालय

186/1, विन्ध्य विहार कॉलोनी
लिटिल बैम्बीनोज स्कूल कैम्पस
रीवा- 486001 (म.प्र.)
दूरभाष- 7974781746
E-mail- researchjournal97@gmail.com, researchjournal.journal@gmail.com
www.researchjournal.in

रिसर्च जरनल में प्रस्तुत किये गये विचार और तथ्य लेखकों के हैं, जिनके विषय में सेन्टर फॉर रिसर्च स्टडीज, सम्पादक मण्डल, प्रकाशक तथा मुद्रक उत्तरदायी नहीं हैं। रिसर्च जरनल के सम्पादन एवं प्रकाशन में पूर्ण सावधानी रखी गई है, किन्तु किसी त्रुटि के लिए सेन्टर फॉर रिसर्च स्टडीज, सम्पादक मण्डल, प्रकाशक तथा मुद्रक उत्तरदायी नहीं हैं। सम्पादन का कार्य अव्यावसायिक और ऑनरेरी है। सभी विवादों का न्यायालय क्षेत्र, रीवा जिला रीवा (म.प्र.) रहेगा।

सम्पादकीय

समाज की मूलभूत और सबसे महत्वपूर्ण इकाई प्रारंभ से परिवार ही रहा है। देश के सशक्तिकरण एवं विकास के लिए सबसे पहले परिवार जैसी बुनियादी संस्थाओं के नैतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक आयामों पर हमें ध्यान देना अति आवश्यक है। समाज के विकास के लिए परिवार का संतुलित विकास अति महत्वपूर्ण है। अत: हमें यदि देश का संपूर्ण एवं संतुलित विकास करना है तो हमें परिवार नामक बुनियादी संस्था पर सबसे ज्यादा जोर देने की आवश्यकता है। आवश्यकता इस बात की है कि हम परिवार में पुत्र और पुत्री के बीच कोई भी भेदभाव ना करें और यह हम अपने पुत्रों को आवश्यक रूप से समझाएं और उनके क्रियाकलापों में शामिल भी करवाएं। आज भी पुरानी मान्यता के जो लोग हैं, उनका यह मानना है कि औरत को कोई आजादी नहीं मिल सकती, वह अकेले कहीं नहीं जा सकती हैं, वह अकेले कहीं घूम-फिर नहीं सकती हैं, लेकिन इन मूल्यों को आज का युवा मानने से इनकार करता है।

कुछ लोग यह भी कहते हैं कि मकान में जो महत्वपूर्ण स्थान दीवालों का का होता है, समाज में वही महत्व लड़कों की शिक्षा का है। लेकिन घर बनता कैसे है? घर के आधार में कौन हैं? घर के आधार में हमारी पुत्रियां हैं, हमारी लड़कियां हैं, अर्थात उनका संबंध जड़ से है। समाज में अगर हमारी जड़ ही कमजोर हो गई तो हमारा घर या मकान बिल्कुल मजबूत नहीं हो सकता है। इस सामाजिक संदर्भ को यथार्थ में समझने की आवश्यकता है।

पक्षपात की हद तो तब हो जाती है जब छोटे छोटे कार्यों में हमें भेदभाव दिखता है। कुछ लोगों ख्याल है कि लड़की पराया धन होती है, उसे कौन सी नौकरी करनी है। इसलिए कुछ मां-बाप लड़के और लड़की में भेदभाव करते हैं और यह भेदभाव हमारे व्यवहार में खिलाने-पिलाने में पहनाने-उढ़ाने में भी कहीं ना कहीं दिखाई देता है। यह सरासर अन्याय है। ईश्वर ने लड़के और लड़कियों को एक जैसा मस्तिष्क दिया है और आज लड़कियां बेहतर परिणाम लाकर यह सिद्ध भी कर रही है।

लड़कियां तो मां-बाप के घर कुछ ही दिन रहती है, इसलिए हमारा यह कर्तव्य है कि हम उनके शिक्षा-दीक्षा, पालन-पोषण पर गहराई से ध्यान दें, तभी हम एक सशक्त समाज की संकल्पना को पूरा कर सकते हैं। ईश्वर ने हमें हमारे बच्चों का ट्रस्टी बनाया है इसलिए हमारा यह कर्तव्य है कि हम पूरे न्याय के साथ सभी सदस्यों के साथ समान व्यवहार करें क्योंकि लड़के और लड़कियों दोनों में एक जैसी शक्ति है, एक ही आत्मा है। अत: हमें उन्हें विकास का समान अवसर दिया जाना चाहिए।

महिला सशक्तिकरण का मूलभूत उद्देश्य महिलाओं का विकास और उनमें आत्मविश्वास का संचार करना हैं। महिला सशक्तिकरण समाज के संपूर्ण विकास के लिए महत्वपूर्ण है। महिलाओं का सशक्तिकरण सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक प्रघटना है, क्योंकि वे रचनाकार होती हैं। अगर आप उन्हें सशक्त करें, उन्हें शक्तिशाली बनाएं, प्रोत्साहित करें, यह समाज के लिए बेहतर है। महिला और पुरूष सृष्टि निर्माण और मानव समाज के आधार हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक है। ये जीवन रूपी रथ के ऐसे पहिये हैं

जिनसे जीवन-यात्रा सुचारू रूप से संचालित होती है। परिवार और समाज में स्थायित्व के लिए दोनों की ही भूमिका समान रूप से महत्वपूर्ण रही हैं। किसी समाज में परिवर्तन और विकास का आधार पुरूषों और महिलाओं के पारस्परिक मेल-जोल, कदम से कदम मिलाकर चलने और दोनों की समान गतिशीलता पर ही निर्भर है। किसी भी एक पक्ष के पिछड़ने पर सामाजिक जीवन में अराजक स्थिति निर्मित होती है। मानव जाति का इतिहास इसका साक्षी हैं कि जहाँ महिलाओं की उपेक्षा की गई है, वहाँ समाज का विकास अवरूद्ध हुआ है। सृष्टि की रचना, बच्चों की शिक्षा, परिवार की परवरिश के रूप में महिला की भूमिका पुरूष से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होने से समाज रचना में उसकी स्थिति केन्द्रीय हो जाती है। अत: स्त्रियों की उन्नति के बिना मानव जाति और समाज का उत्थान नहीं हो सकता। जहाँ तक भारत का संबंध हैं "यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता" अर्थात् जहाँ महिलाओं की पूजा होती है। वहां देवताओं का वास होता है। इस आदर्श के साथ कोई भी भारतीय स्त्री पश्चिमी स्त्री की तुलना में गौरव का अनुभव कर सकती हैं। विद्या का आदर्श सरस्वती में,धन का आदर्श लक्ष्मी में, पराक्रम का आदर्श दुर्गा में, पवित्रता का आदर्श गंगा में, यहाँ तक कि सृष्टि सृजन का आदर्श जगद् जननी के रूप में हमें केवल भारत में ही देखने को मिलता हैं।

(डॉ. अखिलेश शुक्ल)
प्रधान सम्पादक

अनुक्रमणिका

01	वीर सावरकर: भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक अविस्मरणीय चरित्र **अरुण श्रीवास्तव**	09
02	भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उत्तराखंड की महिलाओं का योगदान **राजेश चन्द्र पालीवाल**	15
03	डॉ. लोहिया का सांस्कृतिक चिन्तन: रामायण मेला योजना के विशेष सन्दर्भ में **सुधा गुप्ता**	20
04	महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना का समाजशास्त्रीय अध्ययन (आगरा जिले के पिनाहट विकासखण्ड के विशेष संदर्भ में) **भूरी सिंह, अतुल कुमार**	25
05	भारतीय जीवन में शिवोपासना का धार्मिक महत्व **अशुतोष शुक्ल**	30
06	महात्मा गाँधी : महिला विकास के प्रति दृष्टिकोण **सीमा श्रीवास्तव**	39
07	महिला नेतृत्व के साामाजिक एवं आर्थिक पहलुओं का विश्लेषण (रीवा जिले की पंचायतों के विशेष संदर्भ में एक सर्वेक्षणात्मक अध्ययन) **कोमल पांडे, अखिलेश शुक्ल**	44
08	महिला अपराधिता पुनर्वास एवं जेल व्यवस्था **गजानन मिश्र**	53
09	घरेलू हिंसा: वर्तमान समय की गहन समस्या व समाधान **अलका रानी**	60
10	भारतीय अर्थव्यवस्था और वर्तमान आर्थिक चुनौतियाँ: एक विश्लेषण **बिन्ध्याचल साह**	66
11	नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: सम्भावनाएँ एवं चुनौतियॉ **सिद्धार्थ मिश्र**	78
12	वैश्वीकरण का सामाजिक- आर्थिक प्रभाव **अजय सिंह गहरवार, अवनीश सिंह, महानन्द द्विवेदी**	82
13	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग क्षेत्र में स्टार्टअप योजना **संगीता कुँभारे**	92
14	स्टार्ट अप योजना एवं पिछड़े वर्ग की महिलाओं का सशक्तिकरण:एक समाजशास्त्रीय अध्ययन **कृष्ण कुमार पटेल, एस.एम.मिश्रा**	101
15	सतना जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समस्या एवं समाधान **गायत्री देवी, आर. पी. गुप्ता**	108
16	मध्यप्रदेश में कृषि विकास की संभावनाएं एवं चुनौतियां **सुनीता सोलंकी**	115
17	पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य (नईगढ़ी-पिपराही के संदर्भ में) **वंदना मिश्रा**	121

18	शहडोल संभाग में पर्यटन विकास का पारिस्थितिकी पर प्रभाव **बी. पी. सिंह, सविता पटेल**	127
19	समाज और संस्कृति की विकास यात्रा (भारतीय संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में) **दिव्या मिश्रा**	133
20	शिव ब्रात है? **अशुतोष शुक्ल**	137
21	श्रीमद्भगवद्गीता में मोक्ष योग **प्रत्यूष वत्सला द्विवेदी**	143
22	जैवविविधता और मानवीय क्रियाकलाप (पश्चिमी घाट के विशेष संदर्भ में) **सुनील बाबू विश्वकर्मा, आकृति खरे**	147
23	पराबैंगनी किरणें ओजोन परत को किस तरह प्रभावित करती हैं **मंजरी अवस्थी**	152
24	भारतीय संस्कृति में स्वदेशी खेलो की प्रासंगिकता का महत्व **ममता**	156
25	भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित भावों का विश्लेषणात्मक अध्ययन **पुरूषोत्तम कुमार साहू, अविनाश कुमार लाल**	166
26	लिंग भेदभाव का महिलाओं के विकास के अवसरों पर पड़ने वाले प्रभाव का समाजशास्त्रीय अध्ययन (सतना जिले के विशेष संदर्भ में) **राधा मिश्रा , अमर जीत सिंह, अजय आर. चौर**	171
27	महिला एवं बाल विकास योजनाओं का ग्रामीण महिलाओं की पारिवारिक स्थिति पर प्रभाव (जिला सतना के विशेष संदर्भ में) **विमलेश द्विवेदी, अखिलेश शुक्ल**	179
28	लैंगिक असमानता के कारण एवं समाधान का समाजशास्त्रीय अध्ययन **राधा मिश्रा, अमर जीत सिंह, अजय आर. चौर**	188
29	महिला नेतृत्व एवं ग्रामीण विकास (सीधी जिले की त्रिस्तरीय पंचायतों के विशेष संदर्भ में) **शिखा पाण्डेय, अखिलेश शुक्ल**	194
30	बाल मानवाधिकार एवं भारत के समक्ष चुनौतियां **जगदीश प्रसाद, सर्वोत्तम कुमार**	198
31	भारत में रोजगार की प्रवृत्तियाँ : महिलाओं के विशेष संदर्भ में **कुमुद श्रीवास्तव**	203
32	पंचायतीराज अधिनियम का प्रभाव महिला नेतृत्व एवं सामाजिक जागरुकता (सीधी जिले की त्रिस्तरीय पंचायतों के विशेष संदर्भ में) **शिखा पाण्डेय, अखिलेश शुक्ल**	210
33	अंतर्राष्ट्रीय विधि के अन्तर्गत बच्चों के शिक्षा के अधिकार: भारत के संदर्भ में **जगदीश प्रसाद, सर्वोत्तम कुमार**	117
34	सल्तनकालीन महोबा **महेन्द्र मणि द्विवेदी, रानू चौरसिया**	223

UGC Journal No. (Old) 40942,
Peer- Reviewed Research Journal
Impact Factor 5.125 (IIFS) ISSN 0973-3914
Vol.- 37, Hindi Edition, Year-19, July - Dec. 2022

महिला एवं बाल विकास योजनाओं का ग्रामीण महिलाओं की पारिवारिक स्थिति पर प्रभाव (जिला सतना के विशेष संदर्भ में)

• विमलेश द्विवेदी
•• अखिलेश शुक्ल

सारांश- इस अध्ययन का मुख्य पक्ष महिला विकास है। अतः महिला विकास का तात्पर्य जानना अत्यन्त आवश्यक है। महिला विकास से यहां तात्पर्य केवल महिलाओं पर किये जाने वाले सरकारी व्ययों की राशि में वृद्धि से ही नहीं है। अपितु उसके माध्यम से महिला वर्ग के जीवन पर पड़ने वाले वास्तविक दृश्य तथा अदृश्य प्रभावों के लिये गया है। महिला विकास के प्रमुख मापक है। महिला के प्रति समाज के दृष्टिकोण में परिवर्तन, महिलाए स्वयं की स्थिति में सुधार व विकास हेतु चेतना जागृत होना, उनका स्वयं के जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण, उनकी साक्षरता, स्वास्थ्य, पोषण, रोजगार शिक्षण प्रशिक्षण विवाह के प्रति दृष्टिकोण उनकी विचारधारा विभिन्न अंधविश्वासों परम्पराओ व रूढ़ियों के प्रति उनकी भावनाओं मे परिवर्तन, राजनीतिक व आर्थिक क्षेत्रों में उनकी रूचि का प्रादुर्भाव, स्वयं को अबला के स्थान परसबला समझ पाने तथा शोषण के विरूद्ध आवाज उठाने की प्रकृत्ति का बीजारोपण, जीवन के हर क्षेत्र व एक पहलू के प्रति उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण की उत्पत्ति तथा उनकी जागरूकता के कारण समाज की अनेक विकारपूर्ण स्थितियों का विघटन से है।

मुख्य शब्द - महिला विकास, वर्ग, पारिवारिक स्थिति, जागरूकता

किसी भी सभ्य समाज की वास्तविक स्थिति जानने का एक तरीका यह भी है कि हम यह जाने कि एक समाज में महिलाओं की स्थिति कैसी है? उनको क्या-क्या अधिकार प्राप्त हुए है और उनकी शैक्षणिक दशा क्या है? उन्होने आधा आसमान सिर पर उठा रखा है। उनकी मूलभूत संसाधनों तक कितनी पड़ती है और राजनीतिक या सामाजिक निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में उनकी कितनी सहभागिता है। देखा जाये तो महिलाओं के विकास का एक प्रकार का संकेतन इस संदर्भ में हम पाते है। आज स्त्रियों में काफी समाजिक जागरूकता आ चुकी है। अब वे परदे में सिमटी हुई अपने आप को घर की चारदीवारी में बंद नही रखती है। आधुनिक शिक्षित स्त्रियों में जाति नियमों के

• शोध छात्रा, समाजशास्त्र, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा मध्य प्रदेश
•• प्राध्यापक, समाजशास्त्र, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय रीवा मध्य प्रदेश

प्रति उदासीनता पाई जाती है। वे ऐसे प्रतिबंधों की अधिक चिन्ता नही करती है। आजकल अन्तर्जातीय विवाह होने लगे है। प्रेम विवाह और विलम्ब विवाह की संख्या भी बढ़ी। आज महिलाए सामाजिक क्षेत्र में आगे बंद की। अब वे समाज कल्याण कार्यक्रमों में भी भाग लेती है। महिला मण्डल का निर्माण व क्लबों की सदस्यता भी ग्रहण करती है। आजकल की महिलाए रूढ़ियों से मुक्त होने का प्रयास कर रही है और स्वतंत्रता के वातावरण मे सांस ले रही है। के.एम. पाणिक्कर ने स्त्रियों की बदलती, हुई सामाजिक प्रस्थिति के संबंध मे लिखा है ''भारत के लिए कुछ मेधावी स्त्रियों के द्वारा प्राप्त की गई उल्लेखनीय सफलता उतनी महत्वपूर्ण नही है। जितना की वह परिवर्तन जो ग्रामों, ग्रामीण क्षेत्रों वर्गो और जातियों में जिन्हे आज तक रूढ़िवादी और पिछड़ा हुआ माना जाता था। ये हुआ है। वहां प्रथा और रूढ़िवादी द्वारा लादे गये सामाजिक संबंधों से भी स्त्रियों को मुक्त किया जा सकता है।

अध्ययन क्षेत्र एवं अध्ययन पद्धति- शोध पत्र का अध्ययन क्षेत्र सतना जिला है और सतना जिले की 300 ग्रामीण महिला उत्तरदाताओं से साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से तथ्यों को एकत्रित किया गया है। तथ्यों को एकत्रित करने के लिए अवलोकन प्रणाली का क्षेत्र में प्रयोग किया गया दैव निदर्शन प्रणाली के माध्यम से उत्तर दाताओं का चयन करके साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से तथ्यों का एकत्रीकरण किया गया है।

क्रमांक	ग्रामीण महिला उत्तरदाताओं का विवरण	उत्तरदाताओं की संख्या
1	सामान्य वर्ग	75
2	अनुसूचित जाति	75
3	अनुसूचित जनजाति	75
4	पिछड़ा वर्ग	75
	योग	300

तथ्यों का सारणीयन और विश्लेषण

पारिवारिक स्थिति- महिला एवं बाल विकास योजनाओं का सतना जिले की ग्रामीण महिलाओं पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। महिलाओं की पारिवारिक स्थिति पर काफी हद तक विकास हुआ है। ग्रामीण महिलायें अपने तथा पारिवारिक दायित्वों का पालन बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकती हैं। परिवार में रहकर वह अपने बच्चों व पति के साथ-साथ अन्य महिलाओं को सशक्त बनाने तथा उन्हें परिवार व समाज में अधिकार प्राप्त करवाने में सफलता प्राप्त कर रही हैं। एक परिवार का निर्माण तभी होता है जब उसमें पति-पत्नी एवं उसके अविवाहित बच्चे अन्य सदस्यों के साथ रहते हैं जिनकी देखभाल इन दाम्पति द्वारा सुविधा पूर्वक की जा सकती है। वास्तविक अर्थ में परिवार रक्त सम्बन्धों को छोटे से छोटा समूह माना जाता है। हमारे द्वारा परिवार की परिभाषा दो प्रकार से प्रकट करना अत्यंत आवश्यक माना जाता है। पहला यह विभिन्न सभाओं और सांस्कृतियों में परिवार के विभिन्न स्वरूप पाये जाते हैं। दूसरा यह भी बृहद रक्त सबंधी समूहों जैसे संयुक्त परिवार का गोत्र है विभिन्न रक्त का लख पाया जाता है। लेकिन यहाँ परिवार से हमारा अभिप्राय केवल मूल परिवार अर्थात् पति-पत्नि और उनके अविवाहित बच्चों से लगाया जाता है। तथा इन योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं में पारिवारिक संबंधों में अच्छी घनिष्टता पाई जाती है और पारिवारिक झगड़ों में काफी कमी

देखने को मिलती है और इन योजनाओं के द्वारा ग्रामीण महिलाओं के परिवार में परम्परागत संस्कृति की मात्रा का विस्तार हुआ है और ग्रामीण महिलाओं में परिवार द्वारा किये जाने वाले हिंसा और मारपीट में काफी हद तक सुधार देखने को मिला है। अब उन्हें परिवार में सम्मान दिया जाता है।

सारणी 01

ग्रामीण महिला उत्तरदाताओं का पारिवारिक स्वरूप

क्रमांक	ग्रामीण महिला उत्तरदाताओं का विवरण	उत्तरदाताओं की संख्या	पारिवारिक स्वरूप		
			संयुक्त परिवार	एकांकी परिवार	टूटे परिवार
1	सामान्य वर्ग	75	60	12	03
2	अनुसूचित जाति	75	62	11	02
3	अनुसूचित जनजाति	75	55	17	03
4	पिछड़ा वर्ग	75	56	16	03
	योग	300	233	56	11
	प्रतिशत	100	78	18	04

उपरोक्त तथ्यों को नीचे पाई डायग्राम में प्रस्तुत किया जा रहा है।

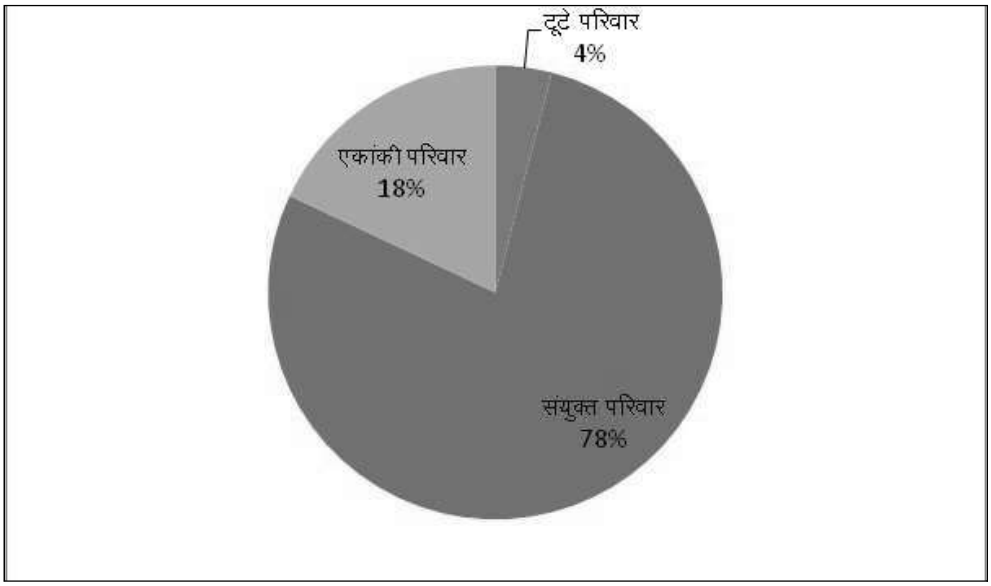

उपरोक्त तालिका से निम्नलिखित तथ्य दृष्टिगोचर होते हैं-

1. 78 प्रतिशत ग्रामीण महिला उत्तरदाता संयुक्त परिवार में निवास करती हुई पाई गई हैं। सतना का अधिकांश जनमानस भारतीय संस्कृति की विशेषताओं को अपना रहा है। इसलिए महिलाओं का अधिकांश भाग संयुक्त परिवार में निवास करता हुआ पया गया है।
2. 18 प्रतिशत महिला उत्तरदाता एकांकी परिवार में निवास कर रही हैं।
3. 04 प्रतिशत महिला उत्तरदाता टूटे परिवारों में निवास करती हुई पाई गई हैं। टूटे परिवार का तात्पर्य परिवार में पति-पत्नि का अलग-अलग रहना है। आधुनिक समाज की विशेषताओं का आंशिक प्रमाण सतना जिले में भी परिलक्षित होता है।

4. सामान्य वर्ग की 80 प्रतिशत महिला संयुक्त परिवार में, 16 प्रतिशत एकांकी परिवार में तथा 04 प्रतिशत टूटे हुए परिवारो में निवास करती हुई पाई गयी हैं।
5. अनुसूचित जाति की 83 प्रतिशत महिला संयुक्त परिवार में 15 प्रतिशत एकांकी परिवार में तथा 02 प्रतिशत टूटे परिवार में निवास करती हुई पाई गयी हैं।
6. अनुसूचित जाति की 73 प्रतिशत महिला संयुक्त परिवार में 23 प्रतिशत एकांकी परिवार तथा 04 प्रतिशत टूटे परिवार में जीवन यापन करती हुई पाई गयी हैं।
7. पिछड़ा वर्ग की 75 प्रतिशत महिला संयुक्त परिवार में, 21 प्रतिशत एकांकी परिवार में तथा 04 प्रतिशत टूटे परिवार में जीवन यापन करती हुई पाई गयी हैं।

सारणी 02

उत्तरदाता महिलाओं के परिवार में सदस्यों की बीच संबंध

क्रमांक	ग्रामीण महिला उत्तरदाताओं का विवरण	उत्तरदाताओं की संख्या	परिवार में सदस्यों की बीच संबंध		
			घनिष्ट संबंध	सामान्य संबंध	तनावपूर्ण संबंध
1	सामान्य वर्ग	75	12	60	03
2	अनुसूचित जाति	75	13	58	04
3	अनुसूचित जनजाति	75	15	55	05
4	पिछड़ा वर्ग	75	13	59	03
	योग	300	53	232	15
	प्रतिशत	100	18	77	05

उपरोक्त तथ्यों को नीचे पाई डायग्राम में प्रस्तुत किया जा रहा है।

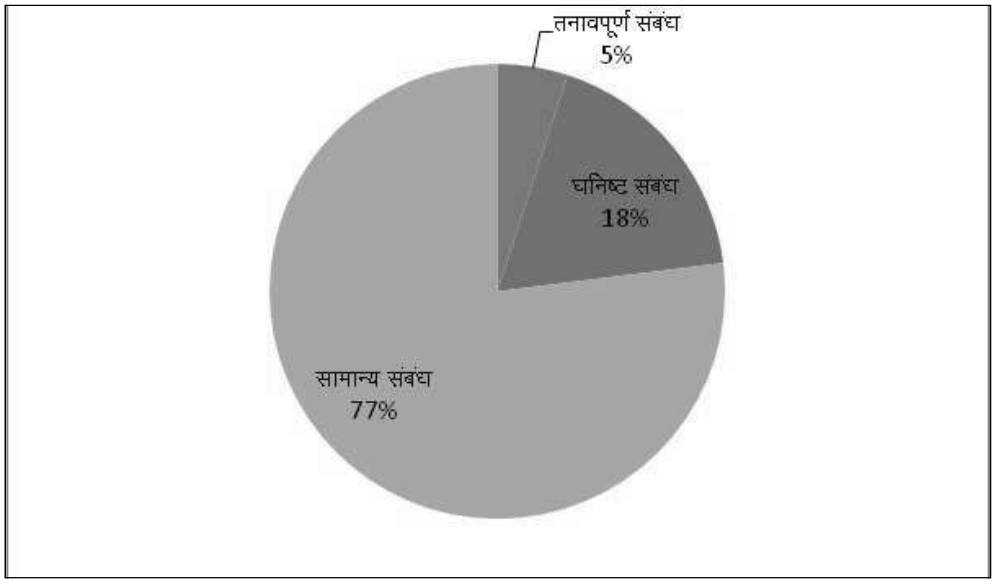

उपरोक्त तालिका से निम्नलिखित तथ्य दृष्टिगोचर होते हैं-

1. 18 प्रतिशत ग्रामीण महिला उत्तरदाता के परिवारों में सदस्यों की बीच घनिष्ट संबंध पाये गये हैं।
2. 77 प्रतिशत ग्रामीण महिला उत्तरदाता में सदस्यों की बीच सामान्य संबंध पाये गये हैं।

3. 05 प्रतिशत ग्रामीण महिला उत्तरदाता में सदस्यों के बीच तनावपूर्ण संबंध पाये गये हैं। अध्ययन करने पर शोधार्थी ने पाया कि तनाव पूर्ण संबंध का मुख्य कारण नशाखोरी है। ज्यादातर पुरुष नशाग्रस्त होकर अपने परिवार में कलह तथा क्लेश उत्पन्न करते हैं। जिससे परिवार के सदस्य तनाव पूर्ण जीवन जीने में विवश हो जाते हैं।
4. सामान्य वर्ग 16 प्रतिशत ग्रामीण महिलाओं में घनिष्ठ संबंध पाये गये, 80 प्रतिशत सामान्य संबंध तथा 04 प्रतिशत तनावपूर्ण संबंध पाये गये हैं।
5. अनुसूचित जाति की 17 प्रतिशत ग्रामीण महिलाओं में सदस्यों के बीच घनिष्ठ संबंध पाये गये हैं। 77 प्रतिशत सामान्य संबंध तथा 05 प्रतिशत तनावपूर्ण संबंध पाये गये हैं।
6. अनुसूचित जनजाति की 20 प्रतिशत ग्रामीण महिलाओं में सदस्यों के बीच घनिष्ठ संबंध पाये गये, 73 प्रतिशत सामान्य संबंध तथा 07 प्रतिशत तनावपूर्ण संबंध पाये गये हैं।
7. पिछड़ा वर्ग की 17 प्रतिशत ग्रामीण महिलाओं में घनिष्ट संबंध पाये गये हैं, 79 प्रतिशत सामान्य संबंध तथा 04 प्रतिशत तनावपूर्ण संबंध पाये गये हैं।

सारणी 03

अध्ययन क्षेत्र की महिलाओं में पारिवारिक झगड़े की स्थिति

क्रमांक	ग्रामीण महिला उत्तरदाताओं का विवरण	उत्तरदाताओं की संख्या	पारिवारिक झगड़े की स्थिति		
			पारिवारिक झगड़े होते है	पारिवारिक झगड़े नहीं होते है	उपरोक्त में से दोनो स्थिति
1	सामान्य वर्ग	75	60	09	06
2	अनुसूचित जाति	75	58	10	07
3	अनुसूचित जनजाति	75	55	11	09
4	पिछड़ा वर्ग	75	56	09	10
	योग	300	229	39	32
	प्रतिशत	100	76	13	11

उपरोक्त तथ्यों को नीचे पाई डायग्राम में प्रस्तुत किया जा रहा है।

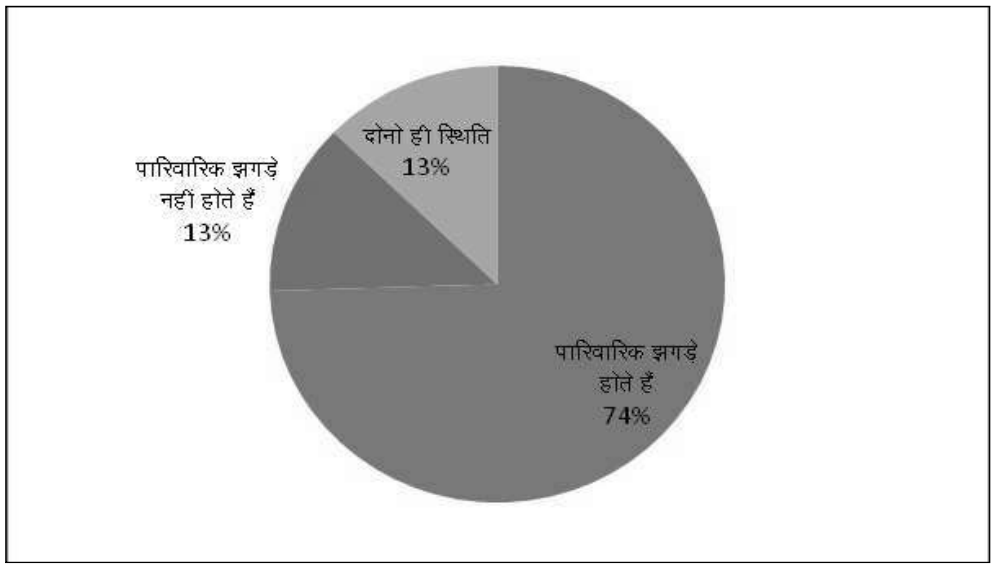

उपरोक्त तालिका से निम्नलिखित तथ्य दृष्टिगोचर होते हैं–

1. 76 प्रतिशत ग्रामीण महिला उत्तरदाताओं में पारिवारिक झगड़े होते हैं, 13 प्रतिशत ग्रामीण महिला उत्तरदाताओं का कहना है कि पारिवारिक झगड़े नहीं होते हैं और 11 प्रतिशत ग्रामीण महिला उत्तरदाताओं में दोनों प्रकार की स्थिति पाई गई है। अध्ययन करने पर शोधार्थी ने पाया कि पारिवाकिर झगड़े होने का मुख्य कारण अशिक्षा और नशाखोरी है। ज्यादातर पुरुष नशाग्रस्त होकर अपने परिवार में झगड़े, क्लेश तथा मारपीट की स्थिति पैदा करते हैं। जिससे परिवार में रहने वाले सदस्यों की शांति भंग होती है।
2. सामान्य वर्ग की 30 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं में पारिवारिक झगड़े होते हैं; 12 प्रतिशत ग्रामीण महिला उत्तरदाता का कहना है कि पारिवारिक झगड़े नहीं होते हैं और 08 प्रतिशत लोगों में दोनों प्रकार की स्थिति पाई गई है।
3. अनुसूचित जाति की 77 प्रतिशत महिलाओं में पारिवारिक झगड़े होते हैं, 13 प्रतिशत उत्तरदाता का कहना है पारिवारिक झगड़े नहीं होते हैं; तथा 10 प्रतिशत महिला उत्तरदाता में दोनों ही प्रकार की स्थिति पाई गई है।
4. अनुसूचित जनजाति की 73 प्रतिशत महिलाओं में पारिवारिक ण्गड़े होते हैं, 15 प्रतिशत ग्रामीण महिला उत्तरदाताओं का कहना है पारिवारिक झगड़े नहीं होते हैं, तथा 12 प्रतिशत महिलाओं में दोनों ही स्थिति पाई गई है। उनका कहना है कि पारिवारिक झगड़ होते हैं और नहीं भी।
5. पिछड़ा वर्ग की 75 प्रतिशत महिलाओं में पारिवारिक झगड़े होते हैं, 12 प्रतिशत महिलाओं में पारिवारिक झगड़े नहीं होते हैं और 13 प्रतिशत महिला उत्तरदाताओं में दोनों प्रकार की सिथति पाई गई है उनका कहना है कि पारिवारिक झगड़े होते हैं और नहीं भी।

सारणी 04
अध्ययनरत महिलाओं में पारिवारिक सांस्कृति विवरण

क्रमांक	ग्रामीण महिला उत्तरदाताओं का विवरण	उत्तरदाताओं की संख्या	पारिवारिक संस्कृति		
			परम्परागत संस्कृति	आधुनिक संस्कृति	सामान्य संस्कृति
1	सामान्य वर्ग	75	61	05	09
2	अनुसूचित जाति	75	60	04	11
3	अनुसूचित जनजाति	75	59	06	10
4	पिछड़ा वर्ग	75	58	05	12
	योग	300	238	20	42
	प्रतिशत	100	79	7	14

उपरोक्त तथ्यों को नीचे पाई डायग्राम में प्रस्तुत किया जा रहा है।

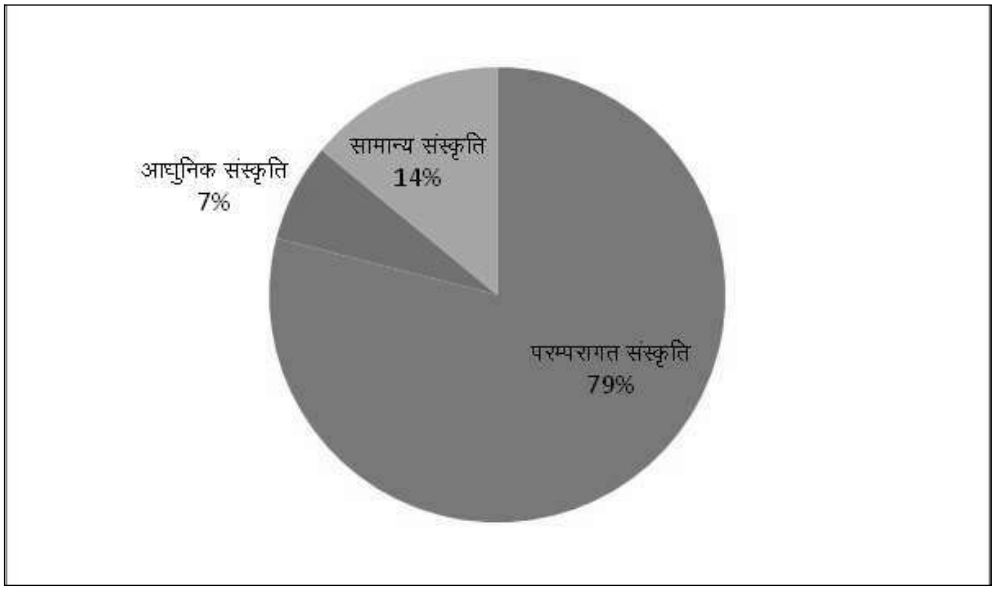

उपरोक्त तालिका से निम्नलिखित तथ्य दृष्टिगोचर होते हैं–

1. 79 प्रतिशत ग्रामीण महिला उत्तरदाता परम्परागत संस्कृति को अपना रहा है इसलिए महिलाओं का अधिकांश भाग परम्परागत संस्कृति से जुड़ा हुआ है।
2. 07 प्रतिशत महिला उत्तरदाता आधुनिक संस्कृति को अपनाती हुई पाई गयी है।
3. 14 प्रतिशत महिला उत्तरदाता सामान्य संस्कृति को अपनाती हुई पाई गयी है।
4. सामान्य वर्ग की 31 प्रतिशत महिला परम्परागत संस्कृति में, 07 प्रतिशत आधुनिक संस्कृति में तथा 12 प्रतिशत सामान्य संस्कृति को अपनाती हुई पाई गयी है।
5. अनुसूचित जाति की 80 प्रतिशत महिला परम्परागत संस्कृति को, 05 प्रतिशत आधुनिक संस्कृति तथा 15 प्रतिशत सामान्य संस्कृति को अपनाती हुई पाई गयी हैं।
6. अनुसूचित जनजाति की 79 प्रतिशत महिला परम्परागत संस्कृति, 08 प्रतिशत आधुनिक संस्कृति तथा 13 प्रतिशत सामान्य संस्कृति को अपनाती हुई पायी गई है।
7. पिछड़ावर्ग की 77 प्रतिशत महिला परम्परागत संस्कृति, 07 प्रतिशत आधुनिक संस्कृति तथा 16 प्रतिशत सामान्य संस्कृति को अपनाई हुई पाई गयी हैं।

सारणी 05

उत्तरदाता महिलाओं के परिवार में मुखिया की स्थिति

क्रमांक	ग्रामीण महिला उत्तरदाताओं का विवरण	उत्तरदाताओं की संख्या	परिवार में मुखिया की स्थिति		
			महिला	पुरुष	उपरोक्त में से दोनों
1	सामान्य वर्ग	75	10	60	05
2	अनुसूचित जाति	75	09	59	07
3	अनुसूचित जनजाति	75	11	58	06
4	पिछड़ा वर्ग	75	12	61	02
	योग	300	42	238	20
	प्रतिशत	100	14	79	07

उपरोक्त तथ्यों को नीचे पाई डायग्राम में प्रस्तुत किया जा रहा है।

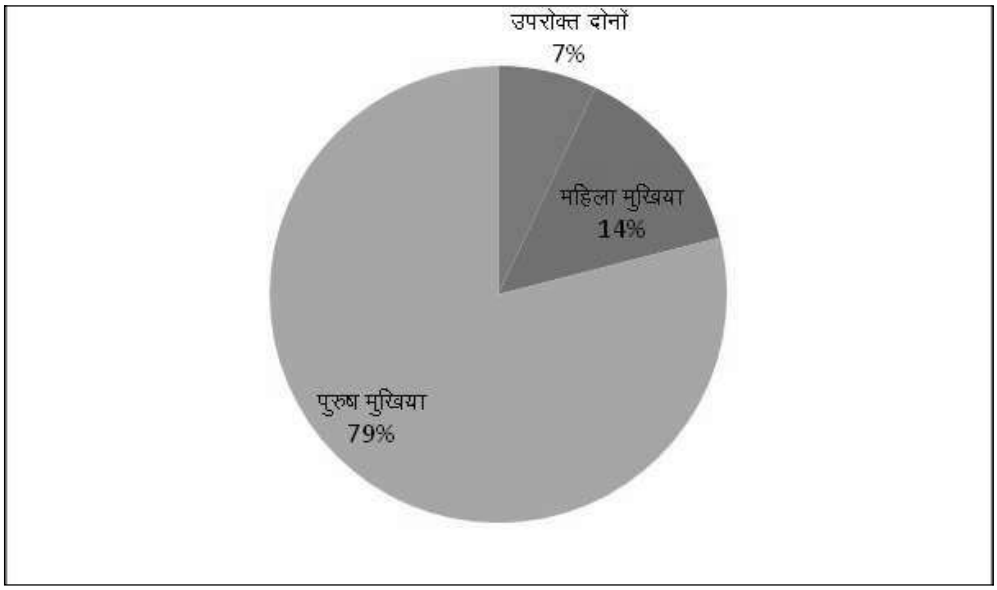

उपरोक्त तालिका से निम्नलिखित तथ्य दृष्टिगोचर होते हैं–

1. 14 प्रतिशत ग्रामीण महिला उत्तरदाता मुखिया के रूप में कार्यरत पाई गयी हैं।
2. 79 प्रतिशत ग्रामीण महिला उत्तरदाता का कहना है कि पुरुषों का ही वर्चस्व है। पुरुष ही मुखिया के रूप में कार्यरत पाये गये हैं।
3. 07 प्रतिशत ग्रामीण महिला उत्तरदाताओं में मुखिया के रूप में कार्य करते दोनों ही पाये गये तथा शोधार्थी ने अध्ययन करने पर पाया कि परिवार में मुखिया का वर्चस्व महिला तथा पुरुष दोनों ही कार्यभार सम्हालते हुए पाये गये हैं।
4. सामान्य वर्ग की 13 प्रतिशत महिलाए मुखिया के रूप में कार्यरत हैं। 80 प्रतिशत पुरुष तथा 07 प्रतिशत महिला और पुरुष दोनों ही मुखिया के रूप में कार्यरत पाये गये हैं।
5. अनुसूचित जाति की 12 प्रतिशत महिला मुखिया के रूप में, 79 प्रतिशत पुरुष तथा 09 प्रतिशत महिला तथा पुरुष दोनों ही मुखिया के वर्चस्व निभाते हुए पाये गये हैं।
6. अनुसूचित जनजाति की 15 प्रतिशत महिला मुखिया के रूप में कार्यरत हैं, 77 प्रतिशत पुरुष तथा 08 प्रतिशत महिला और पुरुष दोनों ही मुखिया कि रूप में कार्यरत पाये गये हैं।
7. पिछड़ावर्ग की 16 प्रतिशत महिला मुखिया के रूप में कार्यरत हैं, 81 प्रतिशत पुरुष तथा 03 प्रतिशत महिला और पुरुष दोनों ही कार्यरत पाये गये हैं।

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. महिला सशक्तिकरण – अभी बाकी है जंग जीतना – दैनिक जागरण, जनवरी 2018
2. सामाजिक परिवर्तन में महिलाओं की भूमिका – क्रानिकल दिल्ली – जून 2021
3. स्त्री मुक्ति से हुंकार – राजस्थान पत्रिका – 29 मार्च 2022
4. योजना – नई दिल्ली – मार्च 2022
5. महिला सशक्तिकरण की क्रान्तिकारी पहल, प्रतियोगिता दर्पण, मार्च 2021

6. भारत का संविधान –एक परिचय – डी.डी.बसु
7. Ahlawat, Neerja (2005), 'Domestic Violence against women: Emerging concerns in Rural Haryana'. ***Social Action***. Vol. 55.
8. Ahlawat, Neerja (2008), 'Violence against women: Voices from the Field'. (ed.)in Manjit Singh and D. P. Singh, ***Violence Impact and Intervention***, Atlantic, New Delhi.
9. Bhattacharya, Rinki (2004), ***'Behind Closed Doors : Domestic Violence in India'***, Sage Publication, New Delhi.